सं0–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री सा0सु0 योजना–01/2016 स.क.–

आवंटनादेश

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से0
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, बिहार ।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विशेष घटक में कुल रू0 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0–2378 दिनांक–06.10.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विशेष घटक में कुल रू0 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है। यह आवंटन, राज्यादेश सं0–1079 दिनांक–01.07.2016 के आलोक में निर्गत आवंटनादेश सं0–10 दिनांक–14.07.2016 द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त है।

योजना का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विशेष घटक)	30,00,00,000/–	15,00,00,000/–	45,00,00,000/–

(पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र

2. भारित राशि की निकासी मांग सं0–51, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102–लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष–31–06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड–P-2235607890102 एवं स्कीम कोड–WEL-5504 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय होंगे। आवंटित राशि की निकासी "सक्षम" (State Society for Ultra Poor and Social Welfare), बिहार, पटना द्वारा प्राप्त Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायगी तथा राशि की निकासी कर सक्षम के खाता में हस्तांतरित की जायगी। सक्षम द्वारा जिलों को राशि उपलब्ध करायी जायगी।

4. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

5. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम से प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायगा।

कृ0पृ0उ0.........2

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम सं0–270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

7. योजना के व्यय में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–

निदेशक

ज्ञापांक:–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री सा0सु0 योजना–01/2016 स.क.– पटना, दिनांक:–
प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक

ज्ञापांक:–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री सा0सु0 योजना–01/2016 स.क.– पटना, दिनांक:–
प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

निदेशक

ज्ञापांक:–1/सा0सु0 मुख्यमंत्री सा0सु0 योजना–01/2016 स.क.– 42 पटना, दिनांक:– 24.11.16
प्रतिलिपि:–वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/11/16
निदेशक